**पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार, H. J. S.**
**M. A. C. P. No. - 317 of 2020**
**मानसिंह पुत्र श्री नाथूराम आयु- 61 वर्ष, निवासी- ग्राम व पोस्ट- करगुंवा, तहसील- मोठ, जिला झांसी**

**- - - - - - - - - - - - - - याची**

**बनाम**

**1. अजय कुमार पुत्र श्री तेज बहादुर, निवासी- बीबीपुर, लखनऊ (चालक कार संख्या- UP32 DP5789)**
**2. श्रीमती पुष्पलता सिंह पत्नी श्री विजय कुमार सिंह, निवासी- 61EC- 2, अलीगंज, लखनऊ (पंजीकृत स्वामी कार संख्या- UP32DP5789)**
**3. एस. बी. आई. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. जरिये प्रबन्धक, 46 तृतीय तल, पूसा रोड, करोलबाग, अपोजिट मैट्रो पिलर संख्या- 129, नई दिल्ली (बीमाकर्ता कार संख्या- UP32 DP5789)**

**- - - - - - - - - - - - - विपक्षीगण**

याचीगण के अधिवक्ता- **श्री राजीव गुप्ता**
विपक्षी संख्या तीन के अधिवक्ता- **श्री दीपक श्रीवास्तव**

**राष्ट्रीय लोक अदालत**

**दिनांकः10. 07. 2021**

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई।याची मानसिंह मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी संख्या- तीन एस. बी. आई. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक श्रीवास्तव उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की ओर से सन्धि पत्र 11B इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याची एवं विपक्षी संख्या- तीन बीमा कम्पनी के मध्य प्रतिकर की धनराशि रु.50, 000/- प्रतिकर के लिए राजीनामा हो गया है, जिससे याची संतुष्ट है। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि याची ने दिनांक 5.10.20 को घटित सडक दुर्घटना में स्वंय को आई गम्भीर चोटों के लिए रु.11,00,000 प्रतिकर की मांग करते हुये वर्तमान याचिका योजित की है और दौरान विचारण उक्त राजीनामा प्रपत्र 11B प्रस्तुत करते हुये राजीनामा के आधार पर याचिका निस्तारित किये जाने का आग्रह किया है। उक्त राजीनामा प्रपत्र पर याची के हस्ताक्षरों की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता के द्वारा तथा विपक्षी संख्या- तीन एस. बी. आई. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की शिनाख्त श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा की गयी है, शेष विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से सत्यापित किया गया है।

चूंकि इस प्रकरण में याची एवं विपक्षी संख्या- तीन के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**आदेश**

याची एवं विपक्षी संख्या- तीन की ओर से प्रस्तुत सन्धि पत्र 11B स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याची **मानसिंह** एवं विपक्षी संख्या- तीन **एस. बी. आई. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि.** की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा 11B के आधार पर रु.**50, 000** प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। विपक्षी संख्या- तीन को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के तीस दिवस के अन्दर प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या- 3671000101192489 (IFSC: PUNB0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे।उपरोक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि याची RTGS/NEFT के माध्यम से नकद प्राप्त करेगा। उक्त राजीनामा/सन्धि पत्र 11B निर्णय का भाग रहेगा।

**(चंद्रोदय कुमार)**
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by
CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.20 17:51:14 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI